2017 का विधेयक सं.12

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 53 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**53. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.-** (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव विहित रीति से किया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर-भीतर; या किसी उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में, जब तक उसकी पदावधि की आधी कालावधि समाप्त न हो जाये, नहीं दिया जायेगा।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त

करने के लिए किसी पश्चात्वर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था, के पश्चात् से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 171 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 171 में,-

(1) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-विभाजन" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "उप-विभाजन या पुनर्गठन" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(2) उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-विभाजन" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "करने या" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या पुनर्गठन" अन्त:स्थापित की जायेगी और सदैव अन्त:स्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो उप-विधियों या सरकारी आदेशों द्वारा अवधारित किये जायें" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा अवधारित की जाये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(3) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका, विहित कालावधि के भीतर-भीतर, ऐसी योजना को या तो बिना उपांतरणों के या ऐसे उपांतरणों या शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह समीचीन समझे, मंजूरी दे सकेगी या यदि नगरपालिका की यह राय हो कि ऐसा उप-विभाजन या पुनर्गठन या मार्ग बनाना किसी भी तरह

से योजना के प्रस्तावों या क्षेत्र के संपूर्ण विकास से संगत नहीं है, मंजूरी देने से इंकार कर सकेगी।";

(4) विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजन के लिए, "पुनर्गठन" से दो या अधिक भूखंडों के क्षेत्रफल या आकार में कोई परिवर्तन अभिप्रेत है।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्यमान धारा 53 में अध्यक्ष को वापस बुलाने और अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का उपबंध है जो अध्यक्ष के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाने के समय आशयित था और अब अध्यक्ष, नगरपालिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, अत:, यह उपबंध अपनी सुसंगतता खो चुका है। इसलिए, केवल अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपबंध बनाने के लिए धारा 53 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

विद्यमान धारा 171 भूखंडों के उप-विभाजन से संबंधित मामलों से संव्यवहार करती है किन्तु यह भूखंडों के पुनर्गठन के लिए उपबंध नहीं करती है। यद्यपि, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और तद्धीन बनाये गये नियम स्पष्ट रूप से भूखंडों के पुनर्गठन के लिए उपबंध करते हैं फिर भी इस धारा को संशोधित करते हुए भूखंडों के पुनर्गठन हेतु उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को वह रीति, जिससे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव किया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा, विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और साधारणतया ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

53. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.- (1) किसी नगरपालिका के प्रत्येक अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जायेगा, यदि उसे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाये, उस नगरपालिक क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक के बहुमत से गुप्त मतदान के माध्यम से वापस बुलाया जाता है:

परन्तु वापस बुलाये जाने की ऐसी कोई भी प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जायेगी जब तक कि प्रस्ताव पर, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर न कर दिये जायें और संबंधित कलक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाये:

परन्तु यह और कि किसी अध्यक्ष के विरुद्ध-

(i) अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण के दो वर्ष के भीतर-भीतर;

(ii) किसी उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि की आधी कालावधि यदि समाप्त न हुई हो तो

ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा:

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के लिए प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार आरंभ की जायेगी।

(2) कलक्टर, यथासंभव शीघ्रता के साथ किन्तु सात दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अपना यह समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों ने वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये

हैं, नगरपालिका की एक बैठक, जो चौदह दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर बुलाई जायेगी, के लिए एक तारीख नियत करेगा, जिसकी अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न के किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(3) यदि उस बैठक में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला संकल्प नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से विहित रीति से पारित हो जाये और राज्य सरकार को संसूचित कर दिया जाये तो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश करेगी।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग, उक्त निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाये जाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए, ऐसी रीति से व्यवस्था करेगा जो विहित की जाये।

(5) उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव, विहित रीति से किया और उस पर विचार किया जायेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस, किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर-भीतर नहीं दिया जायेगा।

(7) यदि उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।

XX XX XX XX XX

171. भूखंड के उप-विभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 161 के अधीन योजना के कार्यान्वयन की तारीख को या उसके पश्चात् अपनी भूमि या भूखंड का उप-विभाजन करने या ऐसी भूमि या भूखंड पर निजी मार्ग बनाने का

आशय रखता है, ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित अभिन्यास योजना, ऐसे विवरणों और ऐसी फीस के साथ, जो उप-विधियों या सरकारी आदेशों द्वारा अवधारित किये जायें, नगरपालिका को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) नगरपालिका, उप-विधियों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर, ऐसी योजना को या तो बिना उपांतरणों के या ऐसे उपातंरणों या शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह समीचीन समझे, मंजूरी दे सकेगी या, यदि नगरपालिका की यह राय हो कि ऐसा विभाजन या मार्ग बनाना किसी भी तरह से योजना के प्रस्तावों से संगत नहीं है, मंजूरी देने से इनकार कर सकेगी।

(3) मंजूरी से इन्कार के लिए या मंजूरी में उपांतरणों या शर्तों के अधिरोपण के लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के उल्लंघन में, या उप-धारा (2) के अधीन दी गयी किसी भी मंजूरी में के उपांतरणों या शर्तों के उल्लंघन में, या उक्त उप-धारा (2) के अधीन मंजूरी देने से इनकार कर देने के बावजूद, कोई कार्य करता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा किसी चालू कार्य को रोकने का निर्देश दे सकेगी और उप-विधियों द्वारा अवधारित रीति से जांच करने के पश्चात् किसी भी कार्य को हटा सकेगी या गिरा सकेगी या भूमि को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे नोटिस की तामील हो जाने के पश्चात् भी, चाहे स्वयं के लिए या स्वामी के या किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त, भूमि का विकास करना जारी रखता है, दोषिसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 12 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 53 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

> **"53. Motion of no confidence against Chairperson and Vice-Chairperson.-** (1) A motion expressing no confidence in the Chairperson or the Vice-Chairperson shall be made and considered in the prescribed manner.
>
> (2) No notice of motion under this section shall be made within two years of the assumption of office by a Chairperson or by a Vice-Chairperson; or in case of Chairperson or Vice-Chairperson elected in a bye-election, unless half of a period of tenure has expired.

(3) If a motion under sub-section (1) is not carried out, no notice of a subsequent motion expressing no confidence in the same Chairperson or Vice-Chairperson shall be made until after the expiration of two years after the meeting in which the said motion was considered.".

3. Amendment of section 171, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 171 of the principal Act,-

(1) in heading, for the existing expression "for sub-division of", the expression "for sub-division or reconstitution of" shall be substituted;

(2) in sub-section (1),-

(i) after the existing expression "sub-divide" and before the existing expression " his land or his plot", the expression "or reconstitute" shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted;

(ii) for the existing expression " as may be determined by bye-laws or by Government orders", the expression " as may be determined by rules made by the State Government in this behalf" shall be substituted;

(3) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Subject to any rules made by the State Government in this behalf, the Municipality may, within the prescribed period, sanction such plan either without modifications or subject to such modifications or conditions as it considers expedient or may refuse to give sanction, if the Municipality is of the opinion that such sub-division or reconstitution or laying out of street is not in any way consistent with the proposals of the plan or the overall development of the area.";

(4) after the existing sub-section (5), the following explanation shall be added, namely:-

"**Explanation.**-For the purpose of this section, "reconstitution" means any change

in the area or dimension of two or more plots."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the existing section 53 there is provision for recalling of Chairperson and motion of no confidence against Chairperson which was intended when the Chairpersons were elected directly and now the Chairpersons are elected by members of the Municipality, hence this provision has lost its relevance. Therefore, in order to make provision for no-confidence alone section 53 is proposed to be amended.

The existing section 171 deals with matters pertaining to sub-division of plots but it does not provide for reconstitution of plots. Though the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and the rules made thereunder clearly provide for reconstitution of plots, a provision for reconstitution of plots is proposed to be made by amending this section.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

श्रीचंद कृपलानी,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause (2) of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for prescribing the manner in which a motion expressing no confidence in the Chairperson or the Vice-Chairperson shall be made and considered.

Clause (3) of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for sanctioning layout plan for sub-division or reconstitution of plot or layout of private street and particulars of such plan and fees leviable in respect thereof.

The proposed delegation is of normal character and generally relates to the matters of detail.

श्रीचंद कृपलानी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

(ACT No. 18 of 2009)

XX XX XX XX XX XX

53. Recalling of Chairperson and motion of no confidence against Vice-Chairperson.- (1) Every Chairperson of a Municipality shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the Municipal area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Members and presented to the Collector concerned:

Provided further that no such motion shall lie against a Chairperson-

(i) within two years of the assumption of office by the Chairperson;

(ii) if half of the period of tenure of the Chairperson elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Chairperson shall be initiated once in his whole term.

(2) The Collector shall, after satisfying himself and verifying as expeditiously as possible but within a period of seven days that the three-fourth of the Members specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, fix a date for a meeting of the Municipality to be held within a period of fourteen days, which shall be presided over by an officer not below the rank of an Additional Collector nominated by him.

(3) If a resolution expressing no confidence in the Chairperson is passed in that meeting, in the prescribed manner, by

a majority of three-fourth of the elected members of the Municipality and communicated to the State Government, the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(4) On receipt of the said reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.

(5) Motion expressing no confidence in the Vice-Chairperson shall be made and considered in the prescribed manner.

(6) No notice of motion under sub-section (5) shall be made within two years of the assumption of office by a Vice-Chairperson.

(7) If a motion under sub-section (5) is not carried, no notice of a subsequent motion expressing no confidence in the same Vice-Chairperson shall be made until after the expiration of two years from the date of the meeting in which the motion was considered.

XX XX XX XX XX XX

171. Sanction for sub-division of plot or lay out of Private Street. - (1) Every person who intends to sub-divide his land or his plot or make or lay out a private street on such land or plot on or after the date of the operation of plan under section 161 shall submit the intended layout plan for such purpose together with such particulars and such fees, as may be determined by bye-laws or by Government orders, to the Municipality for sanction.

(2) The Municipality may, within the period specified in the bye-laws, sanction such plan either without modifications or subject to such modifications or conditions as it considers expedient or may refuse to give sanction, if the Municipality is of opinion that such division or laying out of street is not in any way consistent with the proposals of the plan.

(3) and (4) xx xx xx xx xx xx xx

(5) Any person, who continues to carry out the development of land, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.

XX XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं. 12

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(श्रीचंद कृपलानी, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 12 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Shrichand Kriplani, **Minister-Incharge**)